मूल हिन्दी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1053
07.02.2020 को उत्तर के लिए

ई-अपशिष्ट

1053. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में ई-अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्तमान में देश में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले ई-अपशिष्ट की मात्र कितनी है;
(ग क्या सरकार ने आगामी दस वर्षों के दौरान उत्पन्न होने वाले संभावित ई-अपशिष्ट का कोई आकलन किया है;
(घ) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ई-अपशिष्ट के प्रबंधन और निपटान के लिए कौशल विकास और उद्रयमिता मंत्रालय से परामर्श करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु प्रौद्योगिकीय समाधान अन्वेषित करने के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एवं डी) को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला (एनएमएल), जमशेदपुर में भौतिक पृथक्करण और रासायनिक लीचिंग पद्धति के माध्यम से ई-अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र (सी-एमईटी) द्वारा आर एवं डी परियोजनाओं के तहत कंपोनेंट डीपॉपुलेशन के उपरांत पाइरोलासिस तथा सोल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया के माध्यम से मुद्रित सर्किट बोर्डों से बहुमूल्य धातुओं की पुन:प्राप्ति हेतु भी प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। बंगलौर में ''मुद्रित सर्किट बोर्डों (पीसीबी) से धातुओं की पुन:प्राप्ति हेतु पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ पद्धतियां-चरण-II'' शीर्षक परियोजना के तहत एक प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसे सी-एमईटी, हैदराबाद और ई-परिसर, बेंगलुरू द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस संयंत्र द्वारा 1700 एमटी ई-अपशिष्ट से मुद्रित सर्किट बोर्डों का 51 एमटी प्रसंस्कृत किया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा सूचित किया गया है कि ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रसंस्करण हेतु 18 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों द्वारा 312 विघटन केन्द्रों और पुनर्चक्रण केन्द्रों को प्राधिकृत किया गया है जिनकी समेकित वार्षिक क्षमता 7,82,080 मीट्रिक टन है।

(ग) से (घ) पिछले वर्षों में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 की ईपीआर (विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के 1168 उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए विक्रय आंकड़ों के आधार पर, सीपीसीबी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7,71,215 टन ई-अपशिष्ट के सृजन का अनुमान लगाया है। यह अनुमान नियमों की अनुसूची-I में सूचीबद्ध उपकरणों के उपयोग की औसत मियाद पर आधारित है। मंत्रालय द्वारा अगले दस वर्षों के दौरान ई-अपशिष्ट के सृजन की संभावित मात्रा का अलग से आकलन नहीं किया गया।

(ड.) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य में उद्योग विभाग या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी एजेंसी को औद्योगिक पार्क, संपदा या औद्योगिक क्लस्टरों में ई-अपशिष्ट के विघटन और पुनर्चक्रण हेतु औद्योगिक स्थान या शेड को चिह्नित करने या आबंटित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार को यह भी अधिदेशित किया गया है कि वह श्रमिकों की पहचान और पंजीकरण सुनिश्चित करें; औद्योगिक कौशल विकास कार्यकलाप संचालित करें तथा ऐसे केन्द्रों में कार्यारत श्रमिकों के स्वास्थ्य के संरक्षण और सुरक्षा हेतु उपाय निर्धारित करे।

*****